



मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 1 ♦ जुलाई 2018

मुद्रा प्रबंध

भारतीय रिजर्व बैंक ने डिज़ाइन के ₹ 100 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करेगा

रिजर्व बैंक ने 19 जुलाई 2018 को सूचित किया कि यह जल्दी ही महात्मा गांधी (नई) शृंखला में ₹ 100 मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करेगा जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल के हस्ताक्षर होंगे।

अग्रभाग (आगे)



पृष्ठभाग (पीछे)



नए मूल्यवर्ग के बैंकनोट के पृष्ठभाग पर रानी की वाव का चित्र है जो देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है। नोट का आधार रंग लैवेंडर है। नोट के अग्र और पृष्ठ दोनों भागों पर अन्य डिज़ाइन, ज्यामितिक पैटर्न हैं जिन्हें समग्र रंग योजना के साथ सेरेखित किया गया है। बैंकनोट का आकार 66 मिमी × 142 मिमी होगा।

रिजर्व बैंक द्वारा पहले की शृंखलाओं में जारी ₹ 100 मूल्यवर्ग के सभी बैंकनोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

जब भी नए डिज़ाइन के बैंकनोट जारी किये जाते हैं, सामान्यतः इन नोटों के मुद्रण और बैंकिंग चैनल के माध्यम से जनसाधारण को इनके वितरण के लिए आपूर्ति में धीरे-धीरे वृद्धि होती है।

अग्रभाग (आगे)

- मूल्यवर्ग अंक 100 के साथ आर-पार मिलान
- मूल्यवर्ग अंक 100 के साथ लेटेंट चित्र
- देवनागरी में मूल्यवर्ग अंक 100
- मध्य में महात्मा गांधी का चित्र
- सूक्ष्म अक्षर 'RBI', 'भारत', 'INDIA' और '100'
- कलर बदलाव सहित भारत, RBI के साथ विंडोड सुरक्षा धागा। नोट को तिरछा करके देखने पर धागे का कलर हरे से नीले में परिवर्तित होता है
- महात्मा गांधी के चित्र के दार्यों तरफ गारंटी खंड, वचन खंड सहित गवर्नर के हस्ताक्षर तथा भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक
- दार्यों और अशोक स्तंभ प्रतीक
- महात्मा गांधी का चित्र और इलेक्ट्रोटाइप (100) वॉटरमार्क
- संख्या पैनल जिसमें ऊपर बार्यों और तथा नीचे दार्यों और छोटे से बढ़ते आकार के अंक
- दृष्टिबाधित लोगों के लिए इंटैलियो या उभरी हुई छपाई में महात्मा गांधी का चित्र, अशोक स्तंभ प्रतीक, उभरे हुए त्रिकोणीय पहचान चिन्ह माइक्रो-टैक्स्ट 100 के साथ, दार्यों और बार्यों दोनों तरफ चार कोणीय ब्लीड रेखाएँ

पृष्ठभाग (पीछे)

- नोट के बार्यों तरफ मुद्रण वर्ष
- स्लोगन सहित स्वच्छ भारत लोगों
- भाषा पैनल
- रानी की वाव का चित्र
- देवनागरी में मूल्यवर्ग अंक 100

(https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=44533)

बैंकिंग विनियमन

डिमांड ड्राफ्ट के मुख्यपृष्ठ पर ग्राहक का नाम शामिल किया जाना

डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान के कारण उत्पन्न होने वाली चिंताओं और धनशोधन हेतु इसके संभावित दुरुपयोग को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 12 जुलाई 2018 को निर्णय लिया गया है कि जारीकर्ता बैंक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक आदि के मुख्यपृष्ठ पर ग्राहक का नाम शामिल किया जाएगा। ये अनुदेश 15 सितंबर 2018 को या उसके बाद जारी ऐसी लिखतों के लिए प्रभावी होंगे। (<https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11332Mode=0>)

सहकारी बैंक विनियमन

सहकारी बैंकों द्वारा एमटीएम हानियों का विभाजन

ऐसे शहरी सहकारी बैंकों, जिनसे अनिवार्य रूप से निवेश अस्थिरता रिज़र्व (आईएफआर) का सृजन करना अपेक्षित नहीं हैं (अर्थात् 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ₹ 100 करोड़ से कम समग्र मांग और मीयादी देयताओं (डीटीएल) वाले शहरी सहकारी बैंक), को अब केवल 31 दिसंबर, 2017, 31 मार्च 2018 और 30 जून 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए एएफएस और एचएफटी श्रेणियों में धारित निवेशों पर मार्क टू मार्केट (एमटीएम) हानियों के लिए किए जानेवाले आवश्यक प्रावधान का विभाजन (स्ट्रेड) करने की अनुमति दी गई है। उपर्युक्त प्रत्येक तिमाही में किए जानेवाले आवश्यक प्रावधान को संबंधित तिमाही से शुरूआत कर कुल चार तिमाहियों में समाप्त रूप से विस्तारित किया जा सकता है। सभी एसटीसीबी/डीसीसीबी को भी उनके 'वर्तमान' (करेंट) श्रेणी में धारित निवेशों हेतु समाप्त विकल्प प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल (यील्ड) में आए उछाल के प्रणालीगत प्रभाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।

सभी पात्र सहकारी बैंक जो उक्त विकल्प का प्रयोग करते हैं, वे अपने लेखों की टिप्पणियों (नोट्स टू अकाउंट्स) में निम्नलिखित विवरणों के साथ यथोचित प्रकटीकरण करेंगे -

- निवेश संविभाग के मूल्य हास हेतु तिमाही/वर्ष के दौरान दिसंबर 2017, मार्च 2018 और जून 2018 को समाप्त प्रत्येक तिमाहियों हेतु किए गए प्रावधान और
- शेष तिमाहियों में किए जाने वाले बाकी प्रावधान।

इसके अलावा, बाज़ार जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त रिज़र्व बनाए रखने के लिए सभी सहकारी बैंक अब निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभों से, उपलब्ध निवल लाभ के अधीन, आईएफआर का सृजन करेंगे। सभी शहरी सहकारी बैंकों, चाहे उनका डीटीएल कितना भी हो, से अपेक्षित होगा कि वे आईएफआर बनाए रखें। सभी एसटीसीबी/डीसीसीबी से भी इसी प्रकार आईएफआर का सृजन करना अपेक्षित होगा, जिसके न्यूनतम सीमा की गणना उनके 'वर्तमान' श्रेणी के निवेशों के संदर्भ में की जाएगी।

बैंक, स्वविवेक से, 'एचएफटी' तथा 'एएफएस' / 'वर्तमान' श्रेणी

(यथालागू) में रखे गए निवेशों के 5 प्रतिशत से अधिक की आईएफआर की राशि को लेखा वर्ष में लाभ-हानि खाते में यथाप्रकटित लाभ-हानि शेष में क्रेडिट करने के लिए कम आहरित कर सकते हैं। आईएफआर का शेष 'एचएफटी' तथा 'एएफएस' / 'वर्तमान' श्रेणी (यथालागू) के अंतर्गत किए गए निवेश पोर्टफोलियो के 5 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में, निम्न शर्तों के अधीन कम आहरण करने की अनुमति होगी:

- यदि आहरित राशि का उपयोग केवल फ्री रिज़र्व के विनियोजन के माध्यम से टीयर-I पूँजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने अथवा हानि के शेष को कम करने के लिए किया गया है,
- यदि आहरित राशि, वर्ष के दौरान किए गए एमटीएम प्रावधान की सीमा से अधिक नहीं हो जो प्रावधान संदर्भित वर्ष के दौरान किए गए निवेश की बिक्री पर अर्जित निवल लाभ से अधिक हैं।

एएफएस और एचएफटी / वर्तमान श्रेणी (यथालागू) में रखे गए निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ द्वारा सृजित आईएफआर टीयर-II पूँजी में शामिल होने का पात्र होगा।

(<https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11329Mode=0>)

सरकारी और बैंक लेखा

बैंकों द्वारा एजेंसी कमीशन का दावा प्रस्तुत करना

रिज़र्व बैंक ने 12 जुलाई 2018 को निर्णय लिया कि एजेंसी बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक में एजेंसी कमीशन संबंधी दावों को प्रस्तुत करने की अनुमति अवधि को उस तिमाही, जिसके दौरान लेनदेन किए गए हैं, के समाप्त होने के बाद 90 दिनों से कम करके 60 कैलेण्डर दिवस के भीतर कर दिया जाए। यदि बैंक निर्धारित अवधि के भीतर दावे प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेकानुसार ऐसे दावों को अस्वीकृत कर देगा। यह 30 जून 2018 को समाप्त तिमाही और इसके बाद की अवधि के एजेंसी कमीशन संबंधी दावों के लिए लागू होगा। यह निर्णय इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों में नियमित वृद्धि, विशेष रूप से जीएसटी डॉचे को लागू किए जाने के बाद हुई स्थिर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

रिज़र्व बैंक ने एजेंसी बैंकों को यह भी सूचित किया कि वे निर्धारित प्रारूप में एजेंसी कमीशन संबंधी दावे प्रस्तुत करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया है कि एजेंसी बैंकों द्वारा एजेंसी लेनदेनों से संबंधित आँकड़ों को प्रस्तुत करने के विवरण के स्तर, आवृत्ति और प्रक्रिया की रिज़र्व बैंक द्वारा जाँच की जा रही है तथा इस संबंध में बैंकों को विस्तृत अनुदेश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

यह सूचना यह पता लगने के बाद जारी की गई कि भारतीय रिज़र्व बैंक में एजेंसी कमीशन का दावा करते समय एजेंसी बैंक निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपेक्षित सभी सूचनाओं की रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रस्तुत आँकड़ों में कमी और भिन्नता बनी रहती है।

(<https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11334Mode=0>)

वित्तीय बाजार विनियमन

केंद्रीय सरकार प्रतिभूतियों में 'जब जारी' बाजार में लेनदेन

रिजर्व बैंक ने 24 जुलाई 2018 को 'जब जारी' बाजार पर मौजूदा दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा जारी की और संशोधित निर्देश निम्नानुसार हैं:-

पात्र प्रतिभागी

इन निर्देशों के तहत निम्नलिखित प्रतिभागी नई और पुनःजारी प्रतिभूतियों दोनों के लिए 'जब जारी' बाजार में नेट लॉग और शार्ट पोजिशन लेने के लिए पात्र हैं ;

- केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (जी सेक्यूरिटी) की प्राथमिक नीलामी में भाग लेने वाली सभी पात्र संस्थाएं ;
- निवासी व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ), अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) केवल 'जब जारी' प्रतिभूतियों में लॉग पोजिशन लेने के लिए पात्र हैं ;
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक डीलरों (पीडी) के अलावा अन्य संस्थाएं, अंतर्निहित केंद्र सरकार की प्रतिभूति की नीलामी की तारीख पर लेनदेन के बंद होने से, अपनी शार्ट पोजिशन, यदि कोई हों, को बंद कर देंगी।

परिचालन निर्देश

निम्नलिखित निर्देशों के संदर्भ में 'जब जारी' आधार पर प्रतिभूति में लेनदेन किए जाएंगे:

- 'जब जारी' लेनदेन केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूतियों के जारी होने को अधिसूचित किए जाने के बाद शुरू होगा और यह नीलामी की तारीख पर लेनदेन की समाप्ति पर बंद हो जाएगा।
- सभी व्यापार तिथियों के लिए 'जब जारी' लेनदेन को जारी होने की तारीख पर निपटारे के लिए अनुबंधित किया जाएगा।
- पुनःजारी प्रतिभूतियों के मामले में, 'जब जारी' प्रतिभूतियां जारी होने की तारीख पर द्वितीयक बाजार लेनदेन के निपटारे का एक हिस्सा बनेंगी। जारी होने की तारीख पर द्वितीयक बाजार लेनदेन के निपटारे के समय, 'जब जारी' प्रतिभूति में व्यापार मौजूदा प्रतिभूति में व्यापार के साथ बंद हो जाएगा।
- यदि कोई इकाई जारी होने की तारीख को, खरीदार को 'जब जारी' आधार पर बेची गई प्रतिभूतियों को वितरित करने में असमर्थ है, लेनदेन को क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) के डिफॉल्ट निपटान तंत्र के अनुसार तय किया जाएगा।
- सीसीआईएल के सिक्योरिटीज निपटान सेगमेंट के सदस्य (जिसे बाद में 'सदस्यों' के रूप में संदर्भित किया गया है) उनके घटक संस्थाओं के लेनदेन के निपटारे और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होंगे, अर्थात्, गिल्ट खातों या डीमेट खातों को बनाए रखने वाली संस्थाएं। तदनुसार, पात्र घटक संस्थाएं 'जब जारी' लेनदेन को उन सदस्यों द्वारा अनुमत सीमा तक ले जाएंगी, जिनके माध्यम से वे निर्धारित सीमाओं के भीतर अपने प्रतिभूति लेनदेन का निपटान करती हैं।
- नीलामी की तारीख को 'जब जारी' लेनदेन के समाप्ति पर, कोई भी संस्था केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में छोटी बिक्री पोजिशन के लिए निर्धारित

सीमाओं के अतिरिक्त प्रतिभूति में एक शार्ट 'नेट पोजिशन' नहीं चलाएगी। किसी भी कारण से नीलामी रद्द करने की स्थिति में, सभी 'जब जारी' लेनदेन को अप्रत्याशित घटना के आधार पर प्रारंभ से ही रद्द माना जाएगा। सीमाएं

'जब जारी' बाजार में ओपन पोजिशन सीमा निम्नानुसार होगी:

पोजिशन सीमाएं		
श्रेणीयां	लांग	शॉर्ट
पीडी और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	नीलामी में अधिसूचित राशि के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	नीलामी में अधिसूचित राशि के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं
अन्य पात्र संस्थाएं	नीलामी में अधिसूचित राशि के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	(व्यक्तियों, एचयूएफ, अनिवासी भारतीयों और ओसीआई को 'जब जारी' बाजार में शॉर्ट पोजिशन लेने की अनुमति नहीं है)

नई प्रतिभूति में नेट शॉर्ट पोजिशन (सभी इकाइयों में सभी नेट शॉर्ट पोजीशन का योग) अधिसूचित राशि के 90 प्रतिशत पर कैप्ड करने की पहले की आवश्यकता को अब समाप्त किया गया है। कुल नेट शॉर्ट पोजिशन किसी भी सीमा के अधीन नहीं होगी।

लेनदेन स्थल

'जब जारी' लेनदेन केवल नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम - आर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) मंच पर किया जाएगा। हालांकि, 'जब जारी' प्रतिभूति में मौजूदा स्थिति एनडीएस-ओएम मंच पर या एनडीएस-ओएम मंच के बाहर बंद हो सकती है, जो कि, ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) बाजार के माध्यम से है।

रिपोर्टिंग

सभी ओटीसी 'जब जारी' लेनदेन को ट्रेड के 15 मिनट के भीतर एनडीएस-ओएम पर रिपोर्ट करना होगा।

रिजर्व बैंक द्वारा 6 जून 2018 को घोषित विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब जारी (डब्ल्यूआई) बाजार में लेनदेन के लिए पात्र प्रतिभागी आधार को उदार बनाने और इकाई-वार सीमाओं में छूट देने का प्रस्ताव दिया था। (<https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11344Mode=0>)

वित्तीय बाजार परिचालन विभाग

एफबीआईएल द्वारा विदेशी मुद्रा संदर्भ दर का प्रसार

जैसेकि वर्ष 2017-18 के छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गई थी, यूएसडी/आईएनआर के लिए संदर्भ दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनियम दर के परिकलन और प्रसार की जिम्मेदारी फाइनैशियल

बैंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से ग्रहण करेगा। एफबीआईएल यूएसडी/आईएनआर की संदर्भ दर और अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर के परिकलन और प्रसार की प्रक्रिया 10 जुलाई 2018 (मंगलवार) से शुरू करेगा। इससे पहले रिज़र्व बैंक दैनिक आधार पर स्पॉट यूएसडी/आईएनआर के लिए संदर्भ दर और अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर संकलित करके प्रकाशित करता था।

जैसाकि वर्तमान में किया जा रहा है, ये दरें सप्ताह के प्रत्येक दिन (शनिवार और रविवार तथा मुंबई में बैंक अवकाश को छोड़कर) प्रकाशित की जाएंगी तथा यह एफबीआईएल की वेबसाइट (www.fbil.org.in) पर उपलब्ध रहेंगी। तदनुसार, संदर्भ दर पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली दैनिक प्रेस प्रकाशनी 9 जुलाई 2018 (सोमवार) के बाद से बंद हो जाएगी।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=44393)

राज्य वित्त: बज़ट का अध्ययन जारी किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 जुलाई 2018 को राज्य वित्त: वर्ष 2017-18 और 2018-19 के बज़ट का अध्ययन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, यह एक वार्षिक प्रकाशन है जो राज्य सरकारों के वित्त की सूचना, विश्लेषण और आकलन उपलब्ध कराता है। जबकि 2017 के अंक में राज्य सरकारों का 2016-17 का बज़ट कवर किया गया था, इस अंक में आंकड़ों की उपलब्धता में अंतराल को समाप्त किया गया है और 2015-16, 2016-17 के वास्तविक परिणामों तथा 2017-18 के संशोधित अनुमानों की पृष्ठभूमि में 2018-19 के बज़ट अनुमानों तक की गतिविधियों को कवर किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं :

- राज्यों का समेकित सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी), स्वयं के कर राजस्व में कमी और उच्चतर राजस्व व्यय के कारण 2017-18 में बज़ट अनुमानों से अधिक रहा।
- 2018-19 के बज़ट में राज्यों ने मुख्यतः राजस्व में थोड़े अधिशेष की बदौलत घाटे को कम करने की व्यवस्था की है।
- कई राज्यों के लिए व्यय पक्ष पर, विशेषकर वचनबद्ध शीर्षों और कृषि ऋण माफी जैसी अन्य राज्य विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत स्पष्ट राजकोषीय दबाव उभरकर सामने आ रहे हैं।
- 2018-19 में, जीएसटी के स्थिर होने और परिणामस्वरूप कर आधार तथा उसकी प्रभावशीलता के बढ़ने के साथ राज्यों की राजस्व क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है। अप्रैल 2018 से राज्यों के बीच माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल लागू करने के साथ राज्य अपनी कर व्यवस्था में दक्षता को बनाए रखते हुए अधिक राजस्व सृजित करने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं।
- बेहतर राजकोषीय लक्ष्यनिर्धारण कौशल और व्यय सक्षमता राज्यों के वित्त को मजबूती प्रदान करने में अनिवार्य प्रतीत होती है यदि राजस्व प्राप्तियां फिर से बज़ट किए गए स्तरों की तुलना में कम होती हो।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=44478)

मास्टर निर्देश/परिपत्र

रिज़र्व बैंक ने माह जुलाई 2018 में निम्नलिखित निर्देश/परिपत्र जारी किए :-

मास्टर निर्देश/परिपत्र	दिनांक
एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का वितरण	2 जुलाई 2018
एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार करना - एजेंसी कमिशन का भुगतान	2 जुलाई 2018
नोट्स और सिक्के के विनिमय के लिए सुविधा	2 जुलाई 2018
नकली नोट्स का पता लगाना और रोकथाम	2 जुलाई 2018
एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम	2 जुलाई 2018
लीड बैंक योजना	2 जुलाई 2018
राहत / बचत बांड	2 जुलाई 2018
अल्पसंख्यक समुदायों को क्रेडिट सुविधाएं	2 जुलाई 2018
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएई-एनआरएलएम)	3 जुलाई 2018
जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में प्रदर्शन के आधार पर बैंक शाखाओं के लिए दंड की योजना	3 जुलाई 2018
करेंसी चेस्ट शेष में रिपोर्टिंग में देरी / गलत रिपोर्टिंग / करेंसी-चेस्ट लेनदेन की गैर-रिपोर्टिंग और अयोग्य राशि शामिल करने के लिए दंड ब्याज की लेवी	3 जुलाई 2018
जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में प्रदर्शन के आधार पर करेंसी वितरण और विनिमय योजना (सीडीईएस)	3 जुलाई 2018
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)योजना	4 जुलाई 2018